

न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-229 / 2010
 संस्थित दिनांक-22.03.2010
 फाईलिंग क.234503000182010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

अरविन्द उर्फ अब्बू पिता स्व. बंशीलाल, उम्र-32 वर्ष,

निवासी-ग्राम बिठली, थाना रूपझर,

जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-16/06/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-09.01.2010 को 07:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम हर्राटोला, सोनगुड्डा रोड में लोकमार्ग पर बस क्रमांक-एम.पी-52/डी-0105 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहनबचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेख को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर पेड़ से टकराकर आहत प्रदीप गोसाई को साधारण उपहति कारित की तथा आहत संतराम, प्रदीप, संजयसिंह को घोर उपहति कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रदीप ने पुलिस चौकी बिठली, थाना रूपझर में आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक-09.01.10 को शाम 6:00 बजे आरोपी अब्बू उर्फ अरविन्द हरिन्द्रवार ने उससे कहा कि उसके साथ गाड़ी में सोनगुड्डा तक चल, सोसाईटी वालों को छोड़कर आना है, तो वह आरोपी के साथ वाहन मैक्स क्रमांक-एम.पी-52/डी-0105 में बैठकर सोनगुड्डा जा रहा था। आरोपी अब्बू की गाड़ी में सोनगुड्डा के हॉकफोर्स वाले तथा सोसाईटी वाले बैठे थे। वाहन को आरोपी अब्बू चला रहा था। जब हर्राटोला लातरी के बीच लठियाटोला पहुंचे तो आरोपी ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर बीच मोड़ में पेड़ से टकरा दिया, जिससे उसे व वाहन में बैठे हॉकफोर्स व सोनगुड्डा दड़कसा के लोगों को चोटें आई थी। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन

चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-03/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा विवेचना के दौरान उक्त घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन जप्त मय दस्तावेज के जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान चिकित्सीय रिपोर्ट में आहत संतराम, प्रदीप, संजयसिंह को अस्थि भंग होना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-09.01.2010 को 07:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम हर्राटोला, सोनगुड्डा रोड़ में लोकमार्ग पर बस क्रमांक-एम. पी-52/डी-0105 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर पेड़ से टकराकर आहत प्रदीप गोसाई को साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत संतराम, प्रदीप, संजयसिंह को घोर उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी प्रदीप गोसाई (अ.सा.13) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2010 की ग्राम लातरी के पास चौकी बिठली की शाम 7:30 बजे की है। वह मेश का सामान लेने विश्वनाथ, संतराम व संजय के साथ सोनगुड्डा जा रहा था, तो बिठली में उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। तब वे सभी आरोपी अब्बू उर्फ अरविन्द की गाड़ी में बैठ गये और सोनगुड्डा चौकी जा रहे थे कि रास्ते में ग्राम लातरी के पास आरोपी ने वाहन

तेज गति से चलाकर पेड़ से टकरा दिया। दुर्घटना में उसे बाएं कंधे पर चोट आई थी और उसे फ्रेक्चर हो गया था और उसके साथियों को भी चोटें आई थी। उसे वाहन का नंबर याद नहीं है। उसका चिकित्सीय परीक्षण बालाघाट अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अस्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वाहन विश्वनाथ यादव नाम का व्यक्ति चला रहा था और दुर्घटना उसके द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से हुई थी।

6— विश्वनाथ (अ.सा.14) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह दिनांक-09.01.2010 को प्रधान आरक्षक के पर पर चौकी सोनगुड्डा में पदस्थ था। घटना दिनांक को आरक्षक प्रदीप के साथ मोटरसाईकिल से मैस का सामान लेने उकवा आया था और एक अन्य मोटरसाईकिल में प्रधान आरक्षक संतराम उड़के, आरक्षक संजय कुशराम भी जा रहे थे, तभी ग्राम बिठली में उसकी मोटरसाईकिल पंचर हो गई थी, तब वह आरोपी के वाहन पर बैठकर सोनगुड्डा जा रहा था। हरनाला के मोड़ पर आरोपी ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाया और पेड़ से टकरा दिया। उसे व अन्य लोगों को चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि दुर्घटना के समय वह वाहन चला रहा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना के समय वाहन धीमी गति से चल रहा था।

7— संजय कुशराम (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को वह आरोपी के वाहन में बैठकर सोनगुड्डा जा रहा था तभी मोड़ पर वाहन पेड़ से टकरा गया। दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, यह वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह सीट पर पीछे में बैठा था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी वाहन को अनियंत्रित गति से चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि वाहन विश्वनाथ नाम का व्यक्ति दुर्घटना के समय चला रहा था।

8— हरेश (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि उसने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मैकेनिकल परीक्षण किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने वाहन के परीक्षण के समय वाहन में खराबी पाई थी। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है, जिसमें उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अपने मैकेनिकल परीक्षण में वाहन का ब्रेक फेल होना पाया था।

9— फगनसिंह उइके (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—09.01.2010 को चौकी बिठली थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रदीप हरिन्द्रवार द्वारा अब्बू उर्फ अरविन्द के विरुद्ध दुर्घटना के संबंध रिपोर्ट लेख कराया था, जिसे धारा—279, 337 भा.द.वि. शून्य पर लेख किया था, जो प्रदर्श पी—4 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल कायमी अपराध क्रमांक—03/10 पंजीबद्ध किया गया था। दिनांक—10.01.10 को फरियादी की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। घटनास्थल से एक सफेद रंग का मैक्स वाहन क्रमांक—एम.पी—50/बी—0105 को क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—7 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी प्रदीप, साक्षी चमार, केवल, तुलसीराम, प्रधान आरक्षक विश्वनाथ, संतराम, संजय, प्रदीप गोसाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक—12.01.10 को उक्त वाहन के कागजात अरविन्द उर्फ अब्बू से गवाहों के समक्ष जप्त किया था तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—18 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि विवेचना में उसे जानकारी हुई थी कि दुर्घटना के समय वाहन विश्वनाथ नामक व्यक्ति चला रहा था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि विवेचना की कार्यवाही उसने अपने मन से की थी।

10— लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.12) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—10.01.2010 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी बिठली से आरक्षक क्रमांक—266 रामलाल के द्वारा प्रदर्श पी—4 शून्य पर कायम प्रथम सूचना प्रतिवेदन थाना रूपझर लाकर पेश करने पर उसके द्वारा प्रदर्श पी—14 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक—3/10, धारा—279, 337 भा.द.वि. लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— रामलाल नेताम (अ.सा.9) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—10.01.2010 को चौकी बिठली, थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस चौकी बिठली से आरोपी अब्बू उर्फ अरविन्द के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना पत्र जो शून्य पर कायम की गई थी को चौकी प्रभारी के निर्देशन पर असल नम्बर कायमी हेतु थाना रूपझर ले गया था, जो प्रदर्श पी—14 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी केवलसिंह (अ.सा.1), चम्हारूसिंह (अ.सा.2), तुलसीराम (अ.सा.3), संतराम उइके (अ.सा.4), प्रदीप हरिन्द्रवार (अ.सा.5) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। साक्षी केवलसिंह (अ.सा.1) ने कहा है कि दुर्घटना के समय वाहन कौन चला रहा था इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी केवलसिंह (अ.सा.1) ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-1, चम्हारूसिंह (अ.सा.2) ने प्रदर्श पी-2, तुलसीराम (अ.सा.3) ने प्रदर्श पी-3 का पुलिस कथन पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है। साक्षी संतराम उइके (अ.सा.3) ने कहा है कि वाहन धीमी गति से चल रहा था, इसलिए वाहन चालक की गलती नहीं थी। साक्षी प्रदीप हरिन्द्रवार (अ.सा.5) ने कहा है कि वाहन कौन चला रहा था यह उसने नहीं देखा। वाहन धीरे चल रहा था और दुर्घटना में वाहन चालक की गलती नहीं थी। साक्षी ने प्रदर्श पी-8 का कथन पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया।

13— अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी अब्बू उर्फ अरविन्द ने घटना दिनांक-09.01.2010 को वाहन क्रमांक-एम.पी-52/डी-0105 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक से चलाकर दुर्घटना कारित की थी। इस संबंध में साक्षी प्रदीप गोसाई (अ.सा.13) तथा विश्वनाथ (अ.सा.14) ने कहा है कि आरोपी वाहन को तेज गति से चला रहा था और अनियंत्रित होने से वाहन की दुर्घटना हुई थी। प्रकरण में अन्य चक्षुदर्शी साक्षी केवलसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि पुलिस वाले मैक्स वाहन को चला रहे थे, परंतु कौन चला रहा था, यह वह नहीं बता सकता। साक्षी संतराम (अ.सा.4), प्रदीप हरिन्द्रवार (अ.सा.5) ने यह कहा है कि वाहन धीमी गति से चल रहा था और वाहन चालक की गलती से दुर्घटना नहीं हुई थी। साक्षी संजय कुसराम (अ.सा.6) ने भी यह कहा है कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई यह वह नहीं बता सकता। शेष अभियोजन साक्षी रामलाल नेताम (अ.सा.9), फगनसिंह उइके (अ.सा.11), लक्ष्मीचंद (अ.सा.12) द्वारा विवेचना के संबंध में कार्यवाही की गई है। उनके कथनों से अभियोजन कहानी से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि दुर्घटना के समय वाहन को उतावलेपन या लापरवाही से चलाया जा रहा था या नहीं यह बात केवल चक्षुदर्शी साक्षी ही प्रमाणित कर सकते हैं। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी हरेश (अ.सा.8) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वाहन परीक्षण के समय उसने वाहन का ब्रेक फेल होना पाया था, इसलिए यह संभवना भी हो सकती है कि वाहन के ब्रेक फेल हो जाने से वाहन अनियंत्रित हो गया था और पेड़ से टकरा गया था। ऐसी स्थिति में प्रकट रूप से आरोपी द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाया गया हो यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड

संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क मांक-2 व 3 का निष्कर्ष :-

14- अभियोजन कहानी के अनुसार दुर्घटना में आहत प्रदीप गोसाई को साधारण उपहति तथा आहत संतराम, प्रदीप, संजयसिंह को घोर उपहति कारित हुई थी। अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी चिकित्सक डॉ. आर.के. मिश्रा (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह दिनांक-12.01.2010 को जिला अस्पताल बालाघाट में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। पुलिस चौकी बिठली के आरक्षक परमसिंह द्वारा आहत संतराम, संजय, प्रदीप पिता मनोहरसिंह को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत संतराम के शरीर पर दो चोटें पाई थी, जो किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी और उसके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत संजय के शरीर पर पांच चोटें पाई थी, जो उसके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की थी।

15- उसने आहत संजय को जिला अस्पताल में भर्ती कर अस्थि रोग विशेषज्ञ को रेफर किया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत प्रदीप पिता मनोहरसिंह के शरीर में एक चोट पाई थी, जिसमें उसके गर्दन की बाईं ओर खरोंचे थे और उसके बाएं तरफ की क्लेविकल हड्डी विकृत थी। आहत को आई चोट किसी कड़े एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। उसने आहत को जिला अस्पताल में भर्ती कर अस्थि रोग विशेष को रेफर किया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-09.01.2010 को पुलिस चौकी के आरक्षक राजेश द्वारा प्रदीप पिता महेश प्रसाद को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई थी। आहत उसे सीने में दर्द होना बता रहा था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16- डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.10) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-11.01.2010 को शासकीय अस्पताल बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर था। उक्त दिनांक को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत प्रदीप कुमार पिता ओमकार, संजय कुमार पिता मनोहर, संतराम पिता मिहिलाल जिन्हें डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतु रेफर किया था। एक्सरे प्लेटों का परीक्षण करने पर उसने आहतगण को

अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी-15, प्रदर्श पी-16 तथा प्रदर्श-17 है, जिन पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

17— उपरोक्त चिकित्सक साक्षियों ने आहत प्रदीप गोसाई, आहत संतराम, प्रदीप, संजयसिंह को आई चोटों के विषय में की गई चिकित्सीय रिपोर्ट को अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है। इस प्रकार दुर्घटना में आहत प्रदीप गोसाई को साधारण उपहति तथा शेष आहतगण संतराम, प्रदीप, संजयसिंह को घोर उपहति आना प्रमाणित हो रहा है, परंतु विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के निष्कर्ष में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है कि आरोपी के द्वारा उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से वाहन चलाने से दुर्घटना हुई थी, इसलिए दुर्घटना में आई चोटों के लिए आरोपी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। उपरोक्त समस्त आधारों पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के अंतर्गत अपराध किये जाने के तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझी जावेंगे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक-एम. पी-52/डी-0105 को सुपुर्ददार अरविन्द कुमार पिता बंशीलाल, साकिन बिठली, थाना रूपझर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

बैहर,
दिनांक-16.06.2016

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट